संख्या-39/2021/970/33-3-2021-212/2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 25 जून, 2021**

विषय-मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2020-21 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-81/2017/2170/33-3-2017-212/2017 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में पंचायत सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को **मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना** अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त योजनान्तर्गत पंचायतों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन **''हमारी पंचायत पोर्टल''** (www.hamaripanchayat.up.gov.in) पर दिनांक 01 जुलाई, 2021 से प्राप्त किया जाना है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **''मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार''** वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नवत् उल्लिखित दिशा-निर्देश एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों का चयन किया जाय :-

1- <u>योजना का उद्देश्य :-</u>

- पंचायतों को अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग एवं जनसामान्य के प्रति उत्तरदायी संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पुरस्कृत पंचायतों के कार्यों को आदर्श मानकर अन्य ग्राम पंचायतें भी इन पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर स्वयं की प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करेगीं।
- पंचायतों को पूर्व निर्धारित शासकीय अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने की प्रतिस्पर्धा जागृत कर उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना।
- ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाना।

2- <u>सामान्य निर्देश :-</u>

- ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर निर्धारित प्रश्नावलियों को ऑनलाइन **''हमारी पंचायत पोर्टल''** के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

माध्यम से स्व: मूल्यांकन कर दिनांक 15 अगस्त, 2021 तक जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति हेतु फ्रीज किया जाना होगा।

- योजनान्तर्गत राज्य एवं जनपद स्तर पर निम्नलिखित समितियों का गठन किया जायेगा, जिनकी अनुशंसा के आधार पर योजना को निष्पादित किया जायेगा। समितियों का स्वरूप एवं दायित्व निम्नवत् उल्लिखित प्रस्तर-4 पर वर्णित है -

  1- **राज्य स्तरीय समिति ''राज्य परफारमेंस असेसमेंट समिति''(SPAC)**- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में।

  2- **जनपद स्तरीय समिति ''जनपद परफारमेंस असेसमेंट समिति''(DPAC)**- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में।

- योजनान्तर्गत निम्नवत् उल्लिखित प्रस्तर-3 में प्रदत्त विषयों/क्षेत्रों के आधार पर 100 अंकों की प्रश्नावली जारी करने हेतु निदेशक, पंचायतीराज अधिकृत होगें, जिनके माध्यम से ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जायेगा।
- जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा आवेदित पंचायतों के स्थलीय सत्यापनोपरान्त् समिति द्वारा प्रत्येक जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली चयनित **05** ग्राम पंचायतें की अंतिम सूची पर अनुमोदन एवं संस्तुति प्रदान कर सॉफ्टवेयर **(www.hamaripanchayat.up.gov.in)** पर अंकित की जायेगी, जिनकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जनपद स्तरीय समिति को होगी।
- जनपदों से प्राप्त ग्राम पंचायतों की संस्तुति के आधार पर राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से पंचायतों के अंकों का अवरोही क्रम में निर्धारित कर ग्राम पंचायतों की सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद स्तर से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम संख्या एवं पुरस्कार धनराशि शासन द्वारा प्रावधानित बजट व्यवस्था अनुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- प्रत्येक जनपद के एक विकास खण्ड से **02** ग्राम पंचायतों से अधिक ग्राम पंचायतों को राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति को ऑनलाइन अग्रसारित नहीं किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत ऐसी ग्राम पंचायतें जो कि विगत **02** वर्षों से लगातार पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं, वे इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगी। इस निमित्त जनपद स्तरीय समिति द्वारा ऐसी पंचायतों को सॉफ्टवेयर पर अंकित नहीं किया जायेगा।
- जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में चयनित ग्राम पंचायतों के प्रश्नवार साक्ष्य सहित समस्त मूल अभिलेख चिन्हित प्रति सुरक्षित रखे जायेंगी, जिससे उच्च स्तर पर इन पंचायतों के अभिलेखों की प्रति उपलब्ध करायी जा सके।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इससे कम अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कृत करने हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

- हमारी पंचायत पोर्टल (www.hamaripanchayat.up.gov.in) पर आवेदन हेतु सचिव, ग्राम पंचायत एवं जनपदस्तरीय समिति **(DPAC)** के यूजर आईडी और पासवार्ड सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी के ईमेल आईडी पर पंचायतीराज निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- योजनान्तर्गत पुरस्कार हेतु विषय/क्षेत्र एवं अधिमान:-

क्र0सं0	**क्षेत्र**	**अधिमान (100)**
01	कोविड-19 प्रबंधन	17 प्रतिशत
02	स्वच्छता प्रबंधन	20 प्रतिशत
03	पर्यावरण सुरक्षा	12 प्रतिशत
04	बेहतर/उत्तम स्वशासन	18 प्रतिशत
05	सामाजिक सौहार्द एवं सहभागिता	14 प्रतिशत
06	नियोजित विकास/ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी)	19 प्रतिशत

योजनान्तर्गत पुरस्कृत किये जाने हेतु ग्राम पंचायतों का चयन उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में किये गये कार्यों के आधार पर किया जायेगा।

4- **<u>समितियों का गठन एवं दायित्व:-</u>**

जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (DPAC):-

क्र.सं.	**पदनाम**	**पद**
1	जिलाधिकारी, उ.प्र.	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.	उपाध्यक्ष
3	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
6	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
7	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य

<u>जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति **(DPAC)** के दायित्व:-</u>

01- जनपद की उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों के चयन हेतु रणनीति तैयार करना।

02- ग्राम पंचायतों द्वारा ऑन-लाइन भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर फ्रीज करना।

03- ग्राम पंचायतों के स्थलीय सत्यापन हेतु टीम का गठन कर स्थलीय सत्यापन कराना।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

04- स्थलीय सत्यापन के पश्चात निश्चित समयावधि में ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची राज्य परफारमेंस असेसमेंट समिति को उपलब्ध कराना।

05- सचिव, ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराना।

06- ऑन-लाइन प्रक्रिया की जानकारी हेतु सचिव, ग्राम पंचायत का जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित कराना।

07- जनपद स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना एवं प्रषनावली में वर्णित प्रष्नों का विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत सचिवालयों पर वॉल पेंटिंग करायी जाये एवं अधिक से अधिक पंचायतों का योजनान्तर्गत प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

08- पुरस्कार धनराशि सम्बंधी उपभोग प्रमाण पत्र पंचायतीराज निदेशालय को निश्चित समयावधि में उपलब्ध कराना।

<u>राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (SPAC)-</u>

क्र.सं.	पदनाम	पद
1	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
8	विशेष सचिव, अनुभाग-1/2/3, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
9	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), उ.प्र.।	सदस्य
10	निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. लखनऊ।	सदस्य सचिव
11	निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उ.प्र.।	सदस्य
12	अपर निदेशक/संयुक्त सचिव/उपनिदेशक, पंचायतीराज विभाग,उ.प्र.।	सदस्य संयोजक
13	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा नामित प्रदेश के एक जिलाधिकारी/एक मुख्य विकास अधिकारी, चार ग्राम प्रधान जन एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि।	सदस्य

<u>राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति **(SPAC)** के दायित्व:-</u>

01- योजनान्तर्गत बजट व्यवस्थानुसार कुल पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या एवं पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेना।

02- पुरस्कार योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से रणनीति तैयार करना।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

03- जनपद स्तरीय समितियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयनित ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची को अवरोही क्रम में तैयार कर पुरस्कार दिये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।

04- पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची को विभागीय वेब-साइट पर पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराना।

05- राज्य/मण्डल स्तर पर आयोजित किये जाने वाले पुरस्कार वितरण समारोह की समय-सारिणी एवं बजट का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करना।

06- पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रयासों का अभिलेखीकरण एवं मुद्रण कराना।

07- प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के व्यय संबंधी निर्णय लेना।

08- योजना अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के मदवार बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त करना।

09- योजना संबंधी समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेने हेतु समिति अधिकृत होगी।

05- <u>ग्राम पंचायतों के आवेदन तथा चयन प्रक्रिया:-</u>

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं निर्धारित प्रश्नावली पर ऑनलाइन मूल्यांकन कर निश्चित समय सीमा में अंकनकर पुरस्कार हेतु आवेदन किया जायेगा। जनपद स्तर पर गठित जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी **(DPAC)** ग्राम पंचायतों द्वारा भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर उन्हें ऑनलाइन फ्रीज करेगी। जनपद स्तरीय समिति द्वारा यह सुनिष्चित किया जाये कि प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या से न्यूनतम दोगुना ग्राम पंचायतों का अंको के अवरोही क्रम में चयन करेगी।

जनपद स्तरीय समिति द्वारा स्वयं के स्तर से सत्यापन दल गठित कर निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। ग्राम पंचायतों के सत्यापन हेतु दिशा-निर्देश निदेशक पंचायतीराज द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे। सत्यापन दल स्थलीय सत्यापनोपरान्त रिर्पोट जनपद स्तरीय समिति को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगी तथा तद्नुसार सर्वाधिक अंक वाली ग्राम पंचायतों **(DPAC** द्वारा निर्धारित पुरस्कृत की जाने वाली प्रत्येक जनपद से **05** ग्राम पंचायतें**)** की अंतिम सूची पुरस्कार हेतु राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति को ऑनलाईन अग्रसारित किया जायेगा।

इस प्रकार जनपदों से प्राप्त चयनित ग्राम पंचायतों की सूची निदेषक पंचायतीराज**, उ0प्र0** द्वारा अवरोही क्रम में तैयार कर **SPAC** के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। तद्परान्त राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी **(SPAC)** द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों की सूची जारी की जायेगी। **SPAC** का निर्णय अन्तिम होगा**,** जिसके उपरान्त कोई दावा मान्य न होगा।

उक्त समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संलग्न समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- बजट व्यवस्था

पुरस्कार मद में बजट की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की जायेगी, जिसको विभिन्न मदों में व्यय किये जाने संबंधी निर्णय लिये जाने हेतु राज्य परफासमेन्स असेसमेन्ट समिति **(SPAC)** अधिकृत होगी। प्रत्येक वर्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार राज्य परफासमेंस असेसमेंट समिति **(SPAC)** पुरस्कृत करने हेतु ग्राम पंचायतों की संख्या तथा पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेने हेतु समर्थ होगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासन द्वारा किये गये आय-व्ययक प्राविधान रू0 2500 लाख में से चयनित ग्राम पंचायतों के पुरस्कार धनराशि एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जायेगा। वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि का पुरस्कार मद में व्यय करने के उपरान्त अधिकतम 05 प्रतिशत धनराशि को पुरस्कार समारोह आयोजन एवं अन्य प्रशासनिक मद में व्यय किया जा सकेगा। यदि पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ती या घटती है तो अनुमोदित बजट के मदों के विभाजन पर निर्णय लेने हेतु राज्य परफासमेंस असेसमेंट समिति **(SPAC)** अधिकृत होगी।

यथा साध्य कार्यक्रम अन्तर्गत समस्त कार्य माह अक्तूबर, 2021 की तय सीमा तक पूर्ण करा दिये जायेगें यदि किन्हीं कारणों से कुछ कार्य रह जाते है अथवा धनराशि शेष रह जाती है तो धनराशि आहरित कर इस धनराशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निदेशक, पंचायती राज के निर्वतन पर रखा जा सकेगा।

7- पुरस्कार का स्वरूप

- **पुरस्कार धनराशि**- पुरस्कार धनराशि का निर्धारण वर्ष में उपलब्ध धनराशि के आधार पर किया जायेगा एवं उक्त धनराशि सीधे चयनित ग्राम पंचायत के खाते में निदेशक, पंचायतीराज द्वारा ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी।
- **प्रशस्ति पत्र।**

8- पुरस्कार वितरण

चयनित ग्राम पंचायतों को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य महानुभावों की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर/मण्डल स्तर पर आयोजित पुरस्कार वितरण/सम्मान समारोह में सम्मानित किया जायेगा। वर्तमान में चल रहे प्रतिबन्धों की तत्समय राज्य सरकार की लागू नीति के अनुसार ही पुरस्कार वितरण समारोह पर निर्णय लिया जा सकेगा।

शासनादेश संख्या संख्या-1942/33-3-2020-212/2017 दिनांक 07.09.2020 एवं शासनादेश संख्या-81/2017/2170/33-3-2017-212 /2017 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को उक्त सीमा तक अवक्रमित किया जाता है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

3- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

4- अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन।

8- विशेष सचिव, 1/2/3, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. लखनऊ।

9- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।

10- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), उ.प्र.।

11- निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।

12- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उ.प्र.।

13- अपर निदेशक(प्रशा0)/संयुक्त निदेशक(पं0)/उपनिदेशक(पं0),पंचायतीराज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

14- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।

15- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

16- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

17- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

18- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा नामित प्रदेश के एक जिलाधिकारी/एक मुख्य विकास अधिकारी, चार प्रधान एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर शासकीय संगठन का प्रतिनिधि।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या :-39 /2021/970/33-3-2021-212/2017 दिनांक 25 जून, 2021 का संलग्नक

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के परिवेक्षण एवं विभिन्न कार्यकलापों की समय सारणी।

क्र0सं0	गतिविधि	दिनांक
1	समस्त जनपदों को प्रश्नावलियों को ऑनलाइन भरने की जानकारी हेतु निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना।	30 जून, 2021
2	मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु पंचायत राज की बेवसाइट **'हमारी पंचायत पोर्टल'** (www.hamaripanchayat.up.gov.in) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) की देखरेख में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	01 जुलाई से 15 अगस्त 2021
3	पंचायतों द्वारा फ्रीज की गई प्रश्नावलियों को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा परीक्षण/ अनुमोदन कर जनपद स्तरीय स्थलीय सत्यापन हेतु न्यूनतम दोगुना ग्राम पंचायतों को चयन करना।	20 अगस्त, 2021
4	जनपद स्तरीय समिति द्वारा स्वयं के स्तर से सत्यापन दल गठित कर निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन करना एवं सर्वाधिक अंक वाली प्रत्येक जनपद से 05 ग्राम पंचायतों को चयनित कर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष ऑनलाइन फ्रीज करेगी।	20 सितम्बर, 2021
5	जनपद स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक जनपद से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 05 ग्राम पंचायतों की अभिलेखों सहित समिति की संस्तुति रिपोर्ट फ्रिज की जायेगी।	25 सितम्बर, 2021
6	**राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा चयनित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन के समक्ष प्रस्तुत करना।**	10 अक्टूबर, 2021
7	**कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त ग्राम पंचायतों को पुरस्कार की धनराशि का हस्तान्तरण एवं पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न किया जाना।**	माह अक्तूबर, 2021

नोट :- 1- उक्त योजनान्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार समय-सारणी निदेशक, पंचायतीराज द्वारा संशोधित की जा सकेगी।

2- समय-सीमा के उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।